कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 78/2000 दिनांक 20-10-2000 को अपरान्ह 12·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- सुश्री लक्ष्मी बैरवा, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री आर· दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी·एस· राठौड़, उपायुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री गिर्राज अग्रवाल, सहायक आयुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री ओ·पी· खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
7- श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
8- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) <u>एजेण्डा आईट्मस -</u>

1·1- एजेण्डा सं0 78/2000- 5 :- आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रत्नापुरी के भूखण्ड सं0 49 व 50 के तकनीकी अनुमोदन के संबंध में (जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बी·पी·सी· की बैठक सं0 46/2000 दिनांक 20-5-2000 में भूखण्ड सं0 49 व 50 के संबंध में अजमेर रोड़ की चौड़ाई का पुन: परीक्षण किया जावे का निर्णय लिया गया था । प्रकरण का परीक्षण करने पर यह तथ्य उभर कर आया कि श्याम नगर योजना का अनुमोदन रोड़ की चौड़ाई 160 फिट मानते हुए किया गया था । अत: उपरोक्त योजना (रत्नापुरी योजना) में भी अजमेर रोड़ की चौड़ाई 160 फिट ही रखने का निर्णय लिया गया एवं तदानुसार अनुमोदन की कार्यवाही की जावें ।

210

1·2- एजेण्डा सं0 78/2000- 6 :- पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति की स्कीम नं0 12 बी, शर्मा कालोनी, बाईस गोदाम में भूखण्ड सं0 जे-66 ए का पट्टा दिलवाने बाबत {जोन बी-2 } :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके के तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं0 जे- 66ए का नियमन राजकीय भूमि मानते हुए 345/= रू0 प्रति वर्ग गज नियमन राशि लेकर किया जावे । तदानुसार प्रस्तावित भूखण्ड जे-66 ए को अनुमोदित किया गया ।

1·3- एजेण्डा सं0 78/2000- 7 :- भूखण्ड सं0 70, सीताराम कालोनी के तीन भागों में उप विभाजन स्वीकृत करने के संबंध में {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके के तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- भूखण्ड सं0 70 का उप विभाजन अस्वीकृत किया गया ।
2- रोड़ लिंक पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही रखा जावें ।

1·4- एजेण्डा सं0 78/2000- 8 :- श्री छोटूराम कुमावत, भूखण्ड सं0 39, पुष्पांजली योजना, हथरोई गढ़ी हा·को· सो· के मौके के अनुसार भूखण्ड के क्षेत्रफल को अनुमोदित किये जाने के संबंध में {जोन बी-2 } :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया एवं प्रकरण के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- रोड़ पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार रखी जावे ।
2- प्रश्नगत भूखण्ड के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन साधारण दरों पर किया जावे यदि बढा हुआ क्षेत्रफल 10% तक है और उसके बाद का क्षेत्रफल का नियमन राजकीय भूमि मानते हुए 345/= रू0 प्रति वर्ग गज किया जावे ।

1·5- एजेण्डा सं0 78/2000- 9 :- बजाज नगर हा·को· सोसायटी की योजना मधुवर वेस्ट- 11 {मधुवर साऊथ-वेस्ट एक्सटेंशन} के भूखण्ड सं0 टी- 59 के संबंध में {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूखण्ड का आकार 40' x 60' के स्थान पर 45' x 57'-6" किया जावें ।

.....3

211

1·6- एजेण्डा सं0 78/2000- 10 :- श्री भंवरलाल पूनिया, भूखण्ड सं0 334, विद्युत नगर"अ" को अनुमोदित किये जाने के संबंध में {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके के तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया एवं भूखण्ड सं0 334 को मौके के नाप के अनुसार बिल्ट अप क्षेत्र मिलने के कारण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

1·7- एजेण्डा सं0 78/2000 - 11 :- भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना वसुन्धरा कॉलोनी{विस्तार} के तकनीकी अनुमोदन के संबंध में {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके के तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि चूंकि एच·टी· लाईन हट चुकी है एवं प्रश्नगत रोड़ का मध्य बिन्दु भी अब परिवर्तित हो चुका है अत: उक्त दोनों विकास कार्यों के मद्देनजर भूखण्ड सं0 403, 404, 405 एवं 386 व 387 की बाउण्ड्री लाईन की दूरी रोड़ के वर्तमान मध्य बिन्दु से लेकर नियमानुसार प्रश्नगत भूखण्डों के सैट बैक मार्क किया जावें और तदानुसार नियमन कर दिया जाए ।

1·8- एजेण्डा सं0 78/2000- 12 :- खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सह0 समिति की योजना डी·के· नगर{जोन बी-3} :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह तथ्य उभर कर आया कि 1994 में उक्त योजना के नियमन के समय भूखण्ड सं0 44 से 49 को खसरा सुपर इम्पोजिशन करते समय बाउण्ड्री सीमा से बाहर होने के कारण अनुमोदित नहीं किया गया था परन्तु उपरोक्त भूखण्ड 1984 में तकनीकी रूप से अनुमोदित मानचित्र के भाग थे । अत: मौके की स्थिति के अनुसार, सड़क की चौड़ाई 30 फिट रखते हुए, उपरोक्त भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

1·9- एजेण्डा सं0 78/2000- 13 :- जल महल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अंगिरा नगर {जोन बी-3} :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि चूंकि अब भूखण्ड सं0 41, 42, 43, 44 और 47 में सड़क सीमा में आने वाले क्षेत्र को घटाने के पश्चात् भी निर्मित क्षेत्रफल मिल जाता है । अत: सड़क सीमा

....4

212

में आने वाले क्षेत्र को छोड़कर इन भूखण्डों के बचने वाले क्षेत्र को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

1·10- एजेण्डा सं0 78/2000 - 1 से 4 :- जोन ए-1 एवं बी-1 के एजेण्डा समयाभाव के कारण स्थगित किये गये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{कापरेटिव}
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कापरेटिव/2000/डी-97
दिनांक : 4-11-2000

प्रतिलिपि :-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक{आयोजना}/{विधि}/{वित्त}/{अभियांत्रिकी}जविप्रा, जयपुर ।
4- अति·आयुक्त{भूमि एवं योजनाएं} जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, बी-1, बी-2 एवं बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
6- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-11 {कापरेटिव}